15.86 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND MOTION RE DISAPPROVAL OF PRESIDENTIAL ORDER SUSPENDING CITIZENS' RIGHT TO MOVE A COURT AGAINST DETENTION ORDERS UNDER MISA AND CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up the Statutory Resolution on the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, the motion on the Presidential Order and the Conservation of Foreign Exchange and prevention of Smuggling Activities Bill. Shri Atal Bihari Vajpayee will continue his speech.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी माग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-सम्पन्न आयोग बनाया जाये, जो राजनैतिक नेताओ तथा सरकारी अफ़सरो के साथ तस्करो की साठ-गाठ की जाच करे।

आज प्रधान मत्री और उन की सरकार यह दावा कर रहे है कि तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही कर के उन्होंने बडा साहसपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक इस सरकार ने तस्करो के अपराधो पर लीपा-पोती करने का काम किया है। 1970 मे ले कर 1974 तक की ससद् की कार्यवाही इस बात की साक्षी है कि विरोधी दलों के सदस्यो ने राजनैतिक नेताओ क साथ तस्करो की साठ-गाठ का सवाल बार-बार उठाया, और हर बार सरकार की ओर से टाल-मटोल करने वाले जबाब दिये गये, राजनैतिक नेताओं के आचरणो की जांच नही की गई, तस्करो के साथ रियायतें बरती गई' उन्हे पासपोर्ट दिये गये, उन्हे 'पी' फ़ार्म दिये गये, रिजर्व बैंक से उन्हें विदेशी मुद्रा दी गई, और जो तस्कर गिरफ़तार भी कर लिये जाते थे, वे जल्दी से जमानत पर छूट जाये, इस तरह का प्रबन्ध किया जाता था।

मेरे सामने 1 अप्रैल 1970 की लोक सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट है। श्री जार्ज फ़रनेंडीज का एक प्रश्न था— मैं उस को पढ़ रहा हू —

"क्या हाजी मस्तान मिर्जा को 1966 में बम्बई के रिजनल पास्पोर्ट अफ़सर ने पास्पोर्ट देने से इन्कार किया था? क्या बाद मे उसे पासपोर्ट दिया गया? किस की सिफ़ारिश पर? क्या सरकार को पता है कि इस समय मस्तान तस्करी के जुर्म मे हिरासत मे है? क्या सरकार उस का पास्पोर्ट रद्द करेगी?"

उत्तर देने वाले विदेश उपमत्री, श्री सुरेन्द्र-पाल सिंह थे। उन का उत्तर इस प्रकार था:

"1961 और 1963 में हाजी मस्तान मिर्जा की पास्पोर्ट की अर्जी नामजूर कर दी गई थी। उसे 7 नवम्बर, 1966 को पास्पोर्ट एक साल के लिए दिया गया—गुजरात के गवर्नर ने उसे अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया, उस के आधार पर। 23 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली के राजस्व खुफ़ियागिरी निदेशालय ने रपट दी थी कि मस्तान के घर से तस्करी का माल बम्बई कस्टम अधिकारियो ने 19 जुलाई, 1969 को बरामद किया है। उसे 20 जुलाई को गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।"

उस समय गुजरात के राज्यपाल श्री नित्यानन्द कानूनगो। उन्होंने पास्पोर्ट की

सिफ़ारिश करते हुए जो प्रमाण पत्र दिया, वह इस प्रकार है :

"मैं श्री हाजी मस्तान मिर्जा को बम्बई के श्री अख़्तर सैयद के माध्यम से बहुत अच्छे चारित्रिक इतिहास वाले एक भारतीय नागरिक के रूप में जानता हूं। वह अपने रिश्तेदारों की देखभाल के लिए अदन जाना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है कि वह शीघ्र यात्रा करें, जिस के लिए आवश्यक कागजात उन्हें प्रदान किये जायें।"

जब यह मामला मेरे मित्र, श्री मधु लिमये ने 18 मार्च को उठाया, तो सरकार की ओर से कहा गया कि जांच हो रही है। बाद में श्री कानूनगो ने कहा कि मेरे दस्तख़त जाली बनाये गये हैं। तब सदन में यह मांग की गई कि अगर हाजी मस्तान मिर्जा ने जाली दस्तख़त बनाये हैं, तो उस पर जालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन बम्बई के प्रैजीडेंसी मैजिस्ट्रेट ने फ़ैसला किया ...

श्री मधु लिमये (बांका): और हाई कोर्ट ने उस की ताईद की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ... कि वे दस्तख़त जाली नहीं थे, बल्कि वे श्री कानूनगो के सही दस्तख़त थे। एक कुख्यात तस्कर राज्यपाल से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कैसे सफल हो गया ?

इतना ही नहीं, हाजी मस्तान मिर्जा को विशेष कैटेगरी का टेलीफ़ोन दिया गया। यह मामला भी 2 अप्रैल 1970 को श्री जार्ज फ़रनेंडीज ने उठाया। मैं उन का प्रश्न पढ़ना चाहता हूं :

"क्या यह सच है कि हाजी मस्तान नाम के आदमी को, जो कि वैतुल सरूर, 61/1, वार्डन रोड, बम्बई-26 में रहता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में "मुक्त श्रेणी (विशेष) में टेलीफ़ोन कनेक्शन (नं० 359358) दिया गया है ?

इस श्रेणी के लिए इस की सिफ़ारिश किन लोगों ने की थी ? क्या बम्बई टेलीफ़ोन विभाग ने हाजी मस्तान की समाज सेवा के बारे में पूछ ताछ की ? क्या यह सच है कि पहले एक बार उसे 'मुक्त श्रेणी' में फ़ोन देने से इन्कार किया गया था ?

बम्बई टेलीफोन विभाग ने अपना फैसला क्यों बदला ?" उत्तर दिया उस समय के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री शेर सिंह, ने जो इस प्रकार है :

"हां सिफारिश इन लोगों ने की थी :

1. आदम आदिल एम० एल० ए०।

2. वी० एम० याज्ञिक शराबबन्दी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार।

3. भगवानदास के० अशार अध्यक्ष बी-वार्ड जिला कांग्रेस कमेटी।

4. टी० पी० करीमशा, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मजदूर सभा, बम्बई।

5. एम० ए० खटाल, म्यूनिसिपल कौंसिलर। . . ."

बड़ी बड़ी विभूतियां इस में शामिल हैं। जब इस मामले पर सदन में चर्चा हो रही थी 3 . . (व्यवधान) . . . . तो कांग्रेस की तरफ से श्री नोतिराज सिंह चौधरी ने एक

बात पूछा था। वह अभी तक मन्त्रिमंडल में थे, अब नहीं हैं। उन्होंने एक प्रश्न यह पूछा था कि

"क्या सरकार जानती है कि तस्करी को ये अफसर बढ़ावा देते हैं जिनका काम इसे रोकना है?"

उन्होंने आगे कहा—

"बी०बी०ए०सी० के गोल्ड केस में मूल रपट हमारे एक अफसर ने बदल दी और लगभग एक चौथाई रपट फिर से लिख दी। मैं यह रपट पटेल पर रखना चाहता हूं। यह 32 पेज की रपट है।"

अध्यक्ष ने उस समय कहा कि इसे पटल पर रखना जरूरी नहीं है सवाल पूछिए। तो उन्होंने फिर पूछा—

"मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरों ने 30 नवम्बर 1967 की अपनी मूल रपट और एक छोटी रपट बदल दी थी और एक-चौथाई रपट फिर से लिख दी थी?"

इसका कोई जवाब नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य कौन से अखबार में पढ़ रहे हैं आप?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह अखबार वही है जिसकी बहुत चर्चा यहां हो चुकी है—प्रतिपक्ष। मगर केवल अखबार पर मैं निर्भर नहीं करता हूं। आप चाहें तो सदन की कार्यवाही से मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

अगर राजनैतिक नेता तस्करों को संरक्षण देते रहेंगे, तस्कर उनके साथ मैत्री का दावा करते रहेंगे, अगर राजनैतिक नेताओं के चुनाव में तस्कर काम करते रहेंगे और उनसे सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते रहेंगे तो तस्करों के खिलाफ कभी कठोर कार्यवाही नहीं हो सकती है।

एक तस्कर हैं श्री कृष्णा बुधा गावडे, वह 67 वर्ष के तस्कर हैं। वह अभी पकड़े गये हैं। बम्बई के तस्कर हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी नजरबन्दी के खिलाफ एक रेप्रेजेन्टेशन दी है और उस रेप्रेजेन्टेशन के साथ एक सर्टिफिकेट दिया है। वह सर्टिफिकेट दिया है श्री एच० आर० गोखले का। वह सर्टिफिकेट इस प्रकार है

"It gives me a great pleasure to say that Shri K. B. Gowde worked for me during the mid-term poll. He is a hard-working and a loyal worker. He proved to be of assistance in the last election. I wish him well."

SHRI MADHU LIMAYE Did the Indira wave consist of such people?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह 1971 के मध्यावधि चुनाव की बात है। चुनाव के तुरन्त बाद यह सर्टिफिकेट दिया गया है। उस समय भी वह तस्करी में फंसे थे। दो वर्ष पूर्व कृष्णा गावडे को कस्टम वालों ने नौका में तस्करी का माल उतारते हुए पकड़ने का प्रयास किया था। उसके सेवकों ने कस्टम वालों को मारपीट करके भगा दिया और वे दो लारी सामान लेकर भागने में सफल हुए। गावड़े पर हत्या का आरोप लगाया गया था लेकिन वह साबित नहीं हो सका। पुलिस ने उसे साबित करने की कोशिश नहीं की। गावडे छूट गया और विधि मंत्री के चुनाव में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रकट हो गया।

प्रश्न यह है कि तस्कर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति एकत्र करने में कैसे सफल हुए? आप उनके महल देखिये, उनकी गाड़ियों की संख्या देखिये, भोग और विलास से भरा हुआ उनका जीवन देखिये, उनके स्वामित्व में चलने वाले सिनेमा घर देखिये,

एक माननीय सदस्य स्विमिंग पूल देखिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और उसके नीचे लगा हुआ काच देखिये जिसके नीचे एक कमरा बना हुआ है।

श्री मधु लिमये उसके नीचे मत जाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मै नही जाता। लिमये जी जा सकते हैं। मेरे लिये मना है।

क्या इनकम टैक्स वालो का यह काम नही कि पूछे कि इतनी सम्पत्ति कहा से आई ? राम नारायन ने एक एम्बेसेडर होटल 76 लाख मे खरीदा। क्या उससे पूछा गया कि यह धन कहा से आया ? उसने बडी चालाकी से खरीदा, एस्टेट ड्यूटी नही दी और मुलतान ब्रदर्ज का कट्रोलिंग इटरेस्ट खरीद लिया। 7 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी बचाने मे नारायन सफल हो गया। आय कर, सम्पत्ति कर, एस्टेट ड्यूटी कुछ नही दी लेकिन क्या इनकम टैक्स वाले यह नही पूछ सकते थे कि यह दौलत कहा से आई ?

अब कल केरल के जिस तस्कर का नाम लिया गया वह बडा दान दाता है, जिसने मस्जिदे बनाई हैं, कासर गोड के पास एक बडी मस्जिद उसने खडी की है, उस मजिस्द मे एक टावर लगा है। वहा नमाज पढने कोई नही जाता। वह टावर लगाया है समुद्र मे आने वाली नौकाओ को देखने के लिए। भारत सरकार ने स्मगलिंग पर एक डाकूमेंट्री बनाई है। उस डाकूमेंट्री मे वह मस्जिद आ गई तो केरल मे हगामा खडा कर दिया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य मन्दिर के लिए नही दिया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मन्दिर के लिए भी दिया होगा। लेकिन वह मन्दिर अगर डाकूमेंट्री मे आ जाय तो हमे कोई आपत्ति नही होगी। मगर केरल की सरकार ने क्या किया ? भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा बनाई गई डाकूमेंट्री का प्रदर्शन रोक दिया। तस्कर न केवल केरल की सरकार को चला रहे हैं, भारत सरकार को भी अपने हाथ में नचा रहे हैं।

आयकर विभाग का ही सवाल नही है, कस्टम के अधिकारी भी इसमे शामिल है। मैंने कल कहा था कि मगलौर से लेकर कैनेनोर तक मैं गया। पश्चिमी समुद्र का सारा किनारा अरक्षित पडा है। क्या सेंट्रल रिजर्व पुलिस नही लगाई जा सकती ? क्या बार्डर सेक्योरिटी फोर्स इन तस्करो के जाल को तोडने के काम मे नही लगाई जा सकती ? मैं तो समझता हू कि आवश्यकता पडे तो माल ले कर विदेश से जो नौकाए आती है और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न विच्छिन्न करती हैं उन नौकाओ को समुद्र मे डुबाने के लिए जल-सेना का भी उपयोग किया जा सकता है। मगर बोर्डर सेक्योरिटी फार्स बिहार मे काम आ सकती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस निरपराध लोगो को गोली का निशाना बनाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, तस्करो से लडने के लिए उसका उपयोग नही किया जा सकता।

अभी मिसा के अन्तर्गत तस्कर पकडे जा रहे हैं, कुछ छूट रहे है। इसलिए राष्ट्रपति का आदेश जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट किसी तस्कर को तब छोडता है जब "डिटेंशन" के "ग्राउन्ड" या तो "वेग" होते है या "इन्डैफिनिट" होते है। डिटेंशन के ग्राउन्ड्स वेग और इन्डेफिनिट रखने के लिए दोषी कौन हैं ? अफसरो की तस्करो के साथ साठ-गाठ है। जानबूझ कर डिटेंशन के ग्राउन्ड्स मे कमी रखी जाती है। फिर तो अदालत अपना काम करेगी। अगर ग्राउन्ड्स वेग है, अनिश्चित हैं तो अदालत संविधान के अन्तर्गत उन्हे रिहा करेगी। उसे रोकने का तरीका राष्ट्रपति का

आदेश जारी करना नहीं है। जो डिटेंशन में लेते है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ? किसी अफसर से पूछा गया कि ये ग्राउन्ड्स वेग क्यो थे ? आधार अनिश्चित क्यों थे ?

आज मिसा का क्या हाल हो गया है ? सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया बिहार के छात्र नेता श्री रामबहादुर राय का। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन पर यह आरोप लगा दिया कि वह गुजरात जैसा आन्दोलन बिहार मे भी करना चाहते है। अब उनसे पूछा गया कि गुजरात जैसे आन्दोलन का क्या मतलब है ? उन्होने कहा कि यह तो कामन-सैन्स की बात है। तब फिर जस्टिस चन्द्रचूड ने कहा—कामन-सैन्स तो आज बडी अनकौमन हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को इसलिये रिहा कर दिया कि उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने अपनी दीवार से एन्टी नक्सलाइट स्लोगन साफ कर दिये। क्या दीवार को साफ करना भी जुर्म है ? क्या इस से वह नक्सलपथी साबित होता है ? लेकिन इस आधार पर उसको नजरबन्द किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड दिया। जस्टिस ऐयर का कहना है—अगर इस तरह से इन असाधारण अधिकारो को काम में लाया जायगा तो एक्जीक्यूटिव की सबूत पेश करने की क्षमता और भी कम होगी। मै जस्टिस ऐयर के निर्णय के एक अश को उद्धृत करना चाहता हू—

"The potential executive tendency to shy at courts for prosecution of ordinary offences and to rely generally on the easier strategy of subjective satisfaction is a danger to the democratic way of life."

श्री शमीम अहमद शमीम (श्रीनगर) यह रीएक्शनरी जज मालूम होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ये वह जस्टिस है जो केरल में मिनिस्टर थे। श्री कृष्ण ऐयर बडे प्रगतिवादी है।

श्री शमीम अहमद शमीम · बाद में हो गये होंगे, रीएक्शनरी होने देर नहीं लगती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) · ये अन-कमिटेड जज है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह बात भी सदन का मालूम है कि जब हाजी मिर्जा मस्तान का मामला बम्बई में एक मैजिस्ट्रेट के सामने गया था तो हाजी मिर्जा मस्तान के पक्ष मे जो वकील उसकी तरफ से पेश हुए थे—वे स्वर्गीय मोहन कुमार मगलम थे।

श्री शमीम अहमद शमीम वह वकील थे इस लिये गये। अगर आप वकील होते तो आप भी गये होते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह बात गलत होती तो मुझे खुशी होती।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA. He is not right reactionary but wrong reactionary.

SHRI S A SHAMIM. The lawyers did take objection

SHRI K. P UNNIKRISHNAN (Badagara) What exactly are you trying to prove?

I am charging you of having taken money from smugglers. I will give you details

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Come out with a proof.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN. Even in his professional capacity he has not appeared. That is a fact You are trying to play politics.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : अब्दुल्ला को मस्तान ने पैसा दिया—क्या आपके पार्टी वालों ने इस किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बात कही जा रही है कि जब हम मूलभूत अधिकारों की रक्षा की बात कहते हैं . . .

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई–उत्तर-पूर्व) : किसके मूलभूत अधिकार ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर एक नागरिक के मूलभूत अधिकार। जब यह बात कही जाती है तो यह भी कहा जाता है कि तस्करों के खिलाफ़ सामान्य कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो उस कानून को और मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार को इस तरह की ब्लांकट पावर्स नहीं दी जा सकती। आज इन पावर्स का दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी जिला मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह में पकड़ सकता है, स्मग्लर बता कर हवालात में डाल सकता है।

अभी मथुरा का एक मामला मेरे पास आया है। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिये कस्टम अधिकारी गये, 25 हजार रुपये मांगे। देने से इन्कार किया। इतने में गश्त लगाती हुई पुलिस वहां आ गई, तो कस्टम के अफसर कागज छोड़ कर भाग गये। वे सारे कागज मेरे पास हैं, इसमें इन्टैलीजेन्स की रिपोर्ट भी शामिल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो लिखा है, वह भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के चीफ़ सक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी है, वह भी शामिल है और, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि इस व्यक्ति पर शक है कि यह चोरी-छिपे आने वाले सोने का व्यापार करता है। मगर रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब घर की तलाशी ली गई तो सोना नहीं मिला। मगर शक है। तो क्या शक पर आप पकड़ सकते हैं, शक पर हवालात में डाल सकते हैं, शक पर उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीन सकते हैं ? क्या आपको सबूत नहीं चाहिए ? क्या अदालत के सामने दोषी प्रमाणित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ? जब हम यह बात कहते हैं तो कहा जाता है कि विरोधी दल वाले तस्करों को बचा रहे हैं। इसीलिये मुझे राजनीतिक सम्बन्धों की चर्चा करनी पड़ी और इसी लिये मैंने स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम का नाम लिया। अगर वह गलत है तो मुझे खुशी है।

आज जब हम मूलभूत अधिकारों के लिये लड़ते हैं तो हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम तस्करों को बचाना चाहते हैं। मैं साफ़ तौर से कहना चाहता हूं—हम तस्करों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही करने के पक्ष में हैं, लेकिन यह आदेश उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। इसलिये हम ने मांग की है कि एक उच्च अधिकार सम्पन्न आयोग बनाया जाये जो तस्करों का सम्बन्ध राजनीतिक नेताओं के साथ, तस्करों का सम्बन्ध नौकरशाही के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ—इन सम्बन्धों की जांच करे और फिर यह तय करे कि किस तरह से तस्करों से निबटने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं अध्यादेशों की बात करता हूं, राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों के खिलाफ़ हूं और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अध्यादेशों को रद्द हो जाने दें, आदेश को वापस लें और एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लेकर आयें जिसमें सभी आर्थिक अपराधों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही का समावेश हो। अभी तक किसी तस्कर की सम्पत्ति जब्त नहीं की गई है। जो पकड़े गये, यरवादा जेल में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं . . .

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Will you agree for a change in the Constitution in respect of 'property'?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संविधान को पहले ही परिवर्तित कर चुके हैं, संसद् से अधिकार पहले ही ले चुके हैं कि संसद् सर्वोच्च है. . . . .

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I am asking you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You are asking me. I am not the Finance Minister. I am not the Prime Minister of this country. You have the majority.

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह मामला हमारी सहमति के लिये रुका हुआ है––क्या ये हर काम वही करते हैं जो हम पसन्द करते हैं। हम जिस काम के लिये "न", करते हैं, क्या ये उस काम को नहीं करते ? हम तो कह रहे हैं कि सी०बी०आई० की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दें, क्या आप तैयार हैं ?

हम मांग कर रहे हैं कि कानून के अनुसार तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने का सरकार को अधिकार मिलना चाहिए और अगर सरकार इस तरह का अधिकार मांगने के लिये सदन में आयेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री महोदय कंसल्टेटिव कमेटी में बता चुके हैं कि इसके लिये संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये किसी की सम्पत्ति नहीं लेंगे। उनसे सम्पत्ति ली जायगी––चुनाव लड़ने के लिये, वही सौदे हो रहे हैं––नजरबन्द तस्करों के साथ।

उपाध्यक्ष महोदय, जरा मैं पंजाब के बारे में भी बतला दूं। सरदार दरबारा सिंह जी ने अच्छी याद दिलाई। पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि जो राजनीतिक नेता तस्करी में फंसे हुए हैं उनके बारे में मुझे मालूम है, मगर मैं बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यह पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं है। मगर चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कड़ी कार्यवाही हो और तस्करी की बात खुले। . . . .

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : उन्होंने यह कहा है कि कोई आदमी बतलाये कि कौन मिनिस्टर है जो तस्करी करते हैं। उन्होंने इस बात को चैलेन्ज किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दरबारा सिंह जी, तब तो आप भी बतला सकते हैं।

श्री दरबारा सिंह : आप को सब बातों का ज्यादा पता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय एडहाक, कामचलाऊ, कदमों से तस्करी की गम्भीर समस्या को हल करने का नाटक न खेलें, असाधारण अधिकार हरदम नहीं रहेंगे। तस्करी का हमें निर्मूलन करना है। इसके लिये प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए। यह अध्यादेश इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"This House disapproves of the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 11 of 1974) promulgated by the President on the 17th September, 1974."

Motion moved:

"That this House disapproves of the Presidential Order issued on the 16th November, 1974 under clause (1) of article 359 of the Constitution suspending citizens' right to move any court with respect to orders of detention under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and clauses (4), (5), (6) and (7) of article 22 and also suspending all proceedings pending in any court for the enforcement of the aforesaid rights with respect of orders of detention under the Maintenance of Internal Security Act."

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move*:

"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith, be taken into consideration."

15.57 hrs.

[DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

Sir, as honourable Members are aware, the prevention of smuggling and the conservation of foreign exchange are of vital importance to a country like ours. In order to frustrate the activities of those anti-social elements which seek to take advantage of the country's situation in order to enrich themselves, Government have from time to time taken various legislative and administrative measures. In 1962, the Customs Act, in which the Customs law was comprehensively revised, was enacted. In 1969, legislative action was taken for regulating the possession and sale in vulnerable areas of articles smuggled on a large scale. Further measures were recommended by the Law Commission in its Report on "Trial and Punishment of Social and Economic Offences". Amendments to the Customs Act to give effect to the important recommendations of the Law Commission were effected in 1972. A number of the Law Commission's recommendations were also incorporated in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

The administrative arrangements for dealing with smuggling and foreign exchange violations have also been progressively strengthened. The preventive formations in the Bombay and Madras Custom Houses and the Central Excise Collectorates at Ahmedabad, Bombay, Cochin and Madurai have been reorganised, and Preventive Collectors have been posted at Bombay, Ahmedabad and Patna. Additional manpower has been deployed for preventive work in sensitive areas. Action has been taken to set up a wireless communication net-work covering the West Coast and the Tamil Nadu coast. In order to strengthen patroling of and interception at sea, arrangements have been made for the purchase of 20 fast vessels from Norway. Two of these have already arrived and have been deployed at Bombay, with results which have proved encouraging.

We have, however, found that because of the vast coast line and long land frontiers of our country, the legislative and administrative measures so far taken to check smuggling have not proved adequate. Experience has shown that the persons who have master-minded the smuggling operations worked behind the scenes. It was usually only a landing agent or a carrier who, because of his overt activities, could be apprehended and subjected to action under the existing law, while the main organisers and financiers behind the scenes were able to continue their operations despite the increasing tempo of the seizures. In many cases, the Preventive and Intelligence agencies of were in possession of reports indicating the activities of these persons but for lack of evidence acceptable in a court of law they could not be brought within the mischief of the ordinary law. The Law Commission appreciated the seriousness of the problem and remarked that since the offences against the regulations of foreign exchange and Customs have an immense impact on the well being of the entire nation by virtue of their pernicious effect on vital national policies, Government should not be without power to detain preventively hardened offenders against these laws. After 1972, when the Law Commission made its recommendation, the activities of the master smugglers have been a matter for increasingly serious concern, and it was in this background that the Maintenance of Internal Secu-

*Moved with the recommendation with the president.

rity (Amendment) Ordinance, 1974 was promulgated on the 17th September, 1974. This Ordinance amended the Maintenance of Internal Security Act, 1971, to bring within the scope of that Act various categories of smugglers and offenders against foreign exchange regulations. A statement showing the reasons for legislation by Ordinance has already been placed before the honourable Members. There will perhaps be general agreement that the activities of smugglers and foreign exchange raketeers are anti-social and pernicious. It may be desirable from all points of view to enact a self-contained measure, as the present Bill seeks to do, dealing exclusively with them and to segragate their cases from those of persons detained under Maintenance of internal Security for political or other reasons.

16.00 hrs.

Shri Vajpayee has in a very elaborate speech placed before the House various facts with regard to smuggling. That itself is a justification for a measure of this sort, but unfortunately along with it he tried to bring in certain political matters also with political orientation. I am really sorry that a leader of his stature should take this occasion, particularly when we are dealing with smugglers, to import, if I may say so, political insinuations into this. As far as is possible, I shall certainly deal with them when I reply to the debate. Now I only move for consideration of the motion.

MR CHAIRMAN: Motion moved·

"That the Bill to prove for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith. be taken into consideration."

SHRI NOORUL HUDA (Cachar): I rise to oppose this Bill. What are the objectives behind the introduction of this Bill as also the ordinance promulgated on 17 September 1974? As the hon. Minister has indicated, this Bill is purportedly for conservation of foreign exchange, prevention of smuggling activities etc. and Government wish to arm themselves with sufficient powers so that smuggling can be brought under the ambit of MISA. In Odinance No. 11 of 1974. it is also said that the person concerned will be detained without obtaining the opinion of the Advisory Board for a period longer than three months but not exceeding one year from the date of detention and Government can detain any person on suspicion that a person smuggles or is likely to smuggle goods or about smuggling or is likely to abet other persons to smuggle goods. Lastly under the latest notification dated 16 November, 1974, the President has taken away the right of these detained under this Ordinance to move any court, the right remaining suspended for six months from the date of the issue of the order or the date of expiration of the proclamation of emergency which ever is earlier.

It has been stated before and also today that this Bill and the Ordinance would enable Government to detain anyone on suspicion of smuggling or foreign exchange rule violation and not allow the detenue an opportunity to prove his innocence. As is well known to the House, our party is totally against smugglers, smuggling activities, violators of foreign exchange regulations and any other economic offenders. But the question is why MISA or some such laws which authorise detention without trial is necessary to contain smuggling or to punish other economic offenders

As you know, under MISA a person cannot be punished. It is a Preventive Detention Act. On a suspicion, which has been described in the Bill, a person can be detained upto the extent of 6 months. There is no question of punishment, Government have not come forward with any comprehensive Bill to enable the

[Shri Noorul Huda]

Government to punish economic offenddess like smugglers in an exemplary manner. There are various Acts in India today which can take care of smuggling and other such economic offences. There is, for instance, the Customs Act and rules and regulations under which the Government and the concerned authorities can confiscate the smuggled goods and impose a penalty five times the total value of the contraband and also prosecute any person charged with such offences. There is the foreign Exchange Regulation Act, 1947, as amended in 1953, under which the Government and the concerned authorities can impose a fine five times the amount involved and also prosecute the offenders. We understand that during the last 14 years, in no case has the penalty amounting to more than three times the foreign exchange involved was imposed, inspite of all those rules and regulations and extraordinary powers that the Government have in their armoury. This is the position after 27 years of one party rule in the Centre and in the States. The States of Maharashtra, Gujarat and Kerala are mainly involved as far as economic offences are concerned. These State Governments and also the Central Government have not been able to impose any exemplary punishment on the economic offenders up till now. There is another Act—the Income-tax Act—under which since 1963 Government can impose a penalty on defaulters to the extent of 200 per cent of the amount involved. We do not know whether such Acts, rules and regulations have been applied against these economic offenders and to what extent. I submit that the existing laws of the country against economic offenders are in many ways more stringent than those obtaining in U.K. and U.S.A. Naturally, it follows that if these laws were honestly implemented there would be no need to resort to monstrous measures such as DIR or MISA.

Recently Government have been perturbed because some of the smugglers have been released by the High Courts. Why have they been released? The High Courts have made it clear that there is nothing wrong in the Acts but the grounds of detention have been prepared in such a haphazard and careless manner that the courts had no alternative but to release these smugglers. The grounds of detention which have been furnished to the offenders were found to be ineffective and so they were released by the High Courts.

Now Government have come forward with a promise that this extraordinary measure would last only for six months and not more than that. They have also said that if they in their wisdom decide to withdraw the proclamation of emergency then this Act would immediately lapse. After the emergency was proclaimed in 1962, except for a few months, all these long 12 to 13 years this measure has found a place in our statute book.

When is an emergency proclaimed. It is done only when there is external danger to the country. Recently we have signed an agreement with Pakistan. As far as we know, the Government of India do not fear any aggressive designs by the Peoples' Republic of China. In fact, in certain foreign capitals we have been trying to have better relationship with the Peoples' Republic of China. So, when there is no danger from any of our neighbouring countries, what is the necessity for continuing this emergency for the last 12 to 13 years? Naturally, we cannot place any reliance on the promise made by the Government on the floor of this House times without number that the emergency would be lifted and that DIR and MISA would not be used against political opponents.

Coming to leakage of foreign exchange, I understand that an official committee headed by the Secretary of the Finance Ministry of the Government of India made a number of suggestions to plug loopholes According to official estimates, which are gross under-estimates, the leakage of foreign exchange is round about Rs 240 crores per year. Yet, we understand that not a single suggestion of this official committee has been implemented during the last three years.

Why do we oppose this measure? We oppose it because in the name of preventing smuggling operations, in the name of containing economic offences, we cannot allow the Government or the executive to arm itself with extraordinary and draconian powers, because, we have seen that the Preventive Detention Act, in some form or other, has been in the statute book for so many years, and we have seen how the MISA and the Preventive Detention Act have been used mainly against political opponents, specially against the Communist Party and other trade unionists who are working in the Kissan Sabha those who are associated with progressive democratic movements amongst the youth and the students They have been detained under the MISA for many years Even now according to the latest hand-book which I have got, from 1st July, 1973 upto 31st March, 1974 (during this period) for reasons of violent activities, *goondaism*, bad character, communal agitations, maintenance of public order spying, security of the State, etc, the figure is, 1899 detained under the MISA and for reasons of hoarding profiteering, blackmarketing, disruption of essential services, adulteration, smuggling, etc, the number is 1,148 Out of these, in West Bengal alone, the number is 2,156.

This also appears to me an underestimate because we knew for certain that in West Bengal alone, the Communist Party Marxist and other party activities have been detained and their number is not less than 3,000 to the best of our information These people have been languishing in jail for the last so many years The Congress rulers have played havoc with the personal liberties of the citizens of this country The Central Government and various State Governments have employed the MISA against railwaymen during the railway strike of May, 1974 and also against teachers, students, power engineers, trade unionists and other workers.

They have employed these extraordinary methods not only in West Bengal but also in Gujarat, Bihar, Assam and other places You will be surprised to learn that in May, 1974, when about 17 lakh railwaymen went on strike for about three weeks, so many railwaymen were detained under the MISA and the grounds of detention given against some of the railwaymen in Badarpur and Lumding whom I know personally were fantastic The grounds given were, "You have have participate in such and such a procession on such and such a date, you were engaged in trade union activities; you were engaged in other activities. So, you are detained under the MISA." Without any rhyme or reason they are detained for an indefinite period

Today, in the name of anti-smuggling operations, if the Government want to detain any political worker, any political activist, any trade unionist, they can give the lebel of "smuggler" to any person and detain him for at least six months. There is no power a earth to prevent the Government from doing that.

SHRI C SUBRAMANIAM: Has there been any instance of any political worker being detained under this Ordinance?

SHRI NOORUL HUDA I can give you hundreds of cases

SHRI C SUBRAMANIAM Do it now There is no use of saying that there are hundreds of cases You give the instances now itself

SHRI NOORUL HUDA The MISA is only of recent origin Suppose there is some agitation in Bihar or in U P or in Gujarat or in any other State The Government can empower the District Magistrate to detain any person under the MISA If you want to detain any political worker any political activist you can give the lebel of smuggler and detain him How can prevent it? There is no power on earth to prevent it We have seen what happened in Gujarat and Bihar in the last few months

SHRI P G MAVALANKAR (Ahmedabad) Prof Dandavate was externed from Bihar Shri Vajpayee was arrested in Bihar Where was the agitation? You arrest people even without agitation You arrest them because of the political differences that you have against your opponents

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta-South) 500 Congressmen were also arrested in West Bengal Persons from Congress were also arrested

SHRI C M STEPHEN (Muvathupuzha) Can you tell us which person belonging to your Party was arrested under this particular Act?

SHRI NOORUL HUDA Not under this recently

MR CHAIRMAN Please confine yourself to the Bill Do not bring in other matters

SHRI NOORUL HUDA On behalf of the Communist Party of India (Marxist) I would say that the Government may arm itself with any power which would enable them to contain smuggling and other economic offences, we would be at one with them But at the same time we cannot allow MISA to be brought in a new form, under the garb of anti-smuggling operations In future, in various parts of our country agitations might occur any day and we cannot allow the Government to arm itself with such draconian and extraordinary power to arrest any person and level against him the charge of indulging in smuggling activities and detain him for six months or more The only solution for the Government is to bring forward a comprehensive Bill to strengthen the existing laws I have mentioned three or four laws those laws can be strengthened and we would be at one with the Government on that We want to contain this menace of smuggling But our Party is totally opposed to the introduction of MISA in a new form; this is politically motivated and we will oppose it until this draconian power is withdrawn we shall fight tooth and nail until the Emergency is revoked and until these Acts are removed from the Statute Book

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा)

सभापति महोदय मैं सरकार को मुबारिक-बाद देना चाहता हूं कि उस ने यह विधेयक प्रस्तुत कर के एक ऐसा कदम उठाया, जिसको हमारी बिगडती हुई अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक सही कदम कहा जा सकता है। मैं यह बता कर सदन का ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा कि स्मगलिंग से देश को कितनी हानि होती है और स्मगलिंग कितने तरीके से होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्मगलिंग के जरिए हमारे देश में वह आवश्यक सामान, और ऐयाशी का सामान आता है, जिस की हमें जरूरत नहीं है। और इस के बदले में हमारे देश से वह सामान जाता है जिस की हम को बहुत जरूरत

है जिस को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। कस्टम की चोरी तो होती ही है लेकिन देश के अंदर अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा जिस की हमें बहुत आवश्यकता है उस की बहुत कमी होती है इस स्मगलिंग के कारण। स्थिति आज यह हो गई थी कि देश में इन स्मगलर्स ने एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था कायम कर ली थी। कहने की जरूरत नहीं है कि इन के पास बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े सिनेमा घर और एक नहीं अनेकों तरह के धंधे है। पैसे के आधार पर दुर्भाग्य से इन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ली थी। यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन यह दोष असल में पूंजीवादी व्यवस्था का है जिसमें कि हम रहते हैं, उस में जिस के पास पैसा होता है उस को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। इसी कारण इन लोगों को भी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। मैंने इस सबध में विरोधी दल के दो नेताओं के भाषण सुने। उन भाषणों को सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैं हैरत में रह गया कि क्या हमारे देश के यही विरोधी दल के लोग है जो कभी सरकार के हट जाने पर आल्टरनेटिव सरकार बनायेंगे जो कहते कुछ है और करते कुछ है? हम ने बहुत देखा है इन के कारण को और दुर्भाग्य से यही कारण है कि ये बेचारे निराश होते है. कहीं भी इस सदन में या और किसी जगह बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते क्यों कि इन की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। कहते तो हैं कि हम स्मगलिंग का बहुत बड़ा विरोध करते है और हम इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे है। लेकिन जब सरकार कदम उठती है स्मगलिंग को रोकने लिये तो उस में भी छिद्रावेषण करते है। उस की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि आप को काम्प्रीहेंसिव ला लाना चाहिये। आप को एक ऐसा कानून बनाना चाहिये और उस कानून के अंतर्गत सजा देनी चाहिये। मुझे हैरत होता है कानून तो है; सजाएं भी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि कानून नहीं है। सजा हुई है, 71 में भी कुछ लोगों को सजा हुई है, 72 में भी सजा हुई है, 73 में भी सजा हुई है और थोड़े लोगों को नहीं दो-दो तीन-तीन हजार लोगों को सजा हुई है लेकिन इसके बावजूद भी स्मगलिंग नहीं रुकी आंकड़ों के मुताबिक इस साल सम्भावना यह थी कि यदि स्मगलिंग के खिलाफ सरकार ने यह कदम न उठाया होता तो शायद चार सौ करोड़ रुपये का स्मगलिंग का व्यापार होता। ऐसी हालत में एक नकाब पहनकर यह कहना कि हम स्पॉट तो करते हैं लेकिन एक काम्प्रीहेंसिव ला होना चाहिये, यह अपने आप में एक मखोल की बात हो जाती है। मेरे मित्र हुना कह रहे थे कि कानून है और कानून के अन्तर्गत सजा देने का प्रावधान है, वह यह है कि माल जब्त कर लीजियेगा और पांच गुना पैनेल्टी लगा दीजियेगा... (व्यवधान) प्रोसीक्यूशन भी है। मैं जानता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से जो कानून जिस तरह का इस मुल्क में है और जिस की आप वकालत करते है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिये, उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर कानून के सामने सब को समानता का अधिकार होना चाहिये, उस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, वे इस तरह के हैं; और उन का आधार हमारे जूरिसप्रूडन्स का यह सिद्धान्त है कि भले ही निनयान्वे दोषी आदमी बरी हो जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिये, इस जूलिसप्रूडेन्स के आधार पर बने हुए कानून के मुताबिक बिना ठोस प्रमाण के किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती और यही दुर्भाग्य था, यही वजह थी कि सरकार को अपने हाथ में ये विस्तृत अधिकार लेने की जरूरत आई। वरना कोई जरूरत नहीं थी कि ऐसे अधिकार सरकार लेती।

मैं भी आप के साथ होता, वाजपेयी जी के साथ होता—इसका विरोध करने में। यदि

[श्री नवल किशोर शर्मा]

सरकार के लिए इस तरह का कानून बनाने के लिये औचित्य नही होता। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे विरोधी दल के लोग हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। राजनितिक पहलू हो सकता है, राजनितिक तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश भी हो सकती है, सरकार के खिलाफ बात करने की कोशिश भी हो सकती है, और वह आप करते भी हैं, सब लोगो का एक गठजोड हो गया है--जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। लेकिन जय प्रकाश को जब वे भूदान की बात करते थे, तो उन के साथ लगने वाले सात आदमी भी नही थे और आज उन के साथ सारे विरोधी दल के नेता लग गये हैं, सब ने उनको लोकनायक बना दिया है और ये हमारे मार्किसस्ट बंधु भी उन के साथ गठबंधन करने को तैयार हो गये हैं ..(व्यवधान)..मैं इस विषय पर ज्यादा जाना नही चाहता, मैं यह कहना चाहता हू कि हमारे देश में विरोधी दल के लोग गरीब की बात करते हैं, चिल्लाते हैं और पुकार लगाते हैं, देश की अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है, महगाई हो रही है लोग परेशान हैं और यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन जब सरकार कदम उठाती है तो शाबासी तो देते नही, यह तो कहते नही कि आपने अच्छा काम किया है बल्कि यह कहते है कि उस का दुरूपयोग होगा राजनितिक तरीके से। अभी सुब्रह्मण्यम साहब ने आप से ठीक ही पूछा था कि क्या आप कोई उदाहरण बता सकते हैं कि जिस मे मीसा के इस प्रावधान का दुरुपयोग किया गया हो राजनितिक उद्देश्यों के लिये (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि यह एक ऐसा कानून है जिस का देश के लोगो ने स्वागत किया है, आम जनता ने स्वागत किया है, भले ही विरोधी दलों के लोग इस तरह की बात करे और यही वजह है कि ये सीधे नही कहते कि यह कानून खराब है। असल मे स्मगलर्स के खिलाफ मे आलोचना करते हैं कि राजनितिक नेताओं के साथ उन की साठगाठ जरूर है और मुझ को भी ऐसा लगता है कि राजनितिक नेताओ से साठगाठ है। बहुत आसानी से कह दिया कि कुमार मगलम साहब ने हाजी मस्तान की पैरवी की--पैरवी कर ली तो क्या हो गया? यह एक वकील का पेशा है, मेरे मित्र चटर्जी साहब सामने बैठे हैं, वे भी वकालत करते है। और वकालत के धन्धे मे एक मर्डरर आदमी भी उन के पास आता है, डकैत आता है उस की भी पैरवी करते है। अगर पैरवी नही करते है तो शायद आप को मालूम नही है--यह एक प्रोफेशनल मिसकान्डक्ट है। इस लिए कुमार मगलम साहब ने कोई गलती नही की।

सीधे सादे भोले आदमी हैं--हमारे गोखले साहब। इन के लिए कह दिया कि इन्होने एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे दिया कि उस ने इन के चुनाव मे काम किया है। इस में क्या हो गया? चुनाव मे तो बहुत लोग काम करते है। हजारो लोग काम करते हैं। उन्होने यह तो नही कहा कि वह स्मगलर नही है या बहुत अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है। उन्होने तो यह कहा है कि इन्होने मेरे चुनाव मे बहुत काम किया है। आइ विश हिम वेल। इस मे क्या बुराई है? लेकिन असल मे मुझे सन्देह होता है आप की नीयत पर जब आप पैरवी करते है--स्मगलिंग रोकने के इस कानून के खिलाफ, आप यह कहते है कि आर्डिनेन्स नही निकलवाना चाहिए, काम्प्रीहेन्सिव ला होना चाहिए, तो मुझे सन्देह होता है आप की नीयत पर और मुझे लगता है कि आप ने कही स्मगलर्स से पैसे तो नही ले लिए है? कही यह तो नही कि आप की और स्मगलर्स की साठगाठ है जो आप इस तरह के आरोप लगाते है। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि देखिए--आग से मत खेलियेगा। इस देश की जनता बड़ी समझदार है। वह आप की इन हरकतो को

बहुत अच्छी तरह से समझती हूं । मैं चाहता हूं कि इस देश में विरोधी दल मजबूत हो, लेकिन आप की हरकतें ऐसी हैं, कि आप मजबूत नहीं हो पाते ।

मैं यह कह रहा था कि इस देश में यह ऐसा कानून बना है जिस की देश में आवश्यकता थी। मैं आप का ध्यान पिछले वित्त मंत्री श्री गणेश के एक वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं.....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Should the Emergency continue?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA I am not concerned with it; it is for the Government to reply. I am on a different point altogether. When that comes up we shall express our views on that matter

मैं आप से कह रहा था—हमारे वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्री श्री के० आर० गणेश ने कहा था—

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहबाद) . इसी लिए उन को निकाल दिया गया ।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस तरह की बात कहना आप की आदत हो गई है । इस तरह की राजनीति में आप ही विश्वास करते हैं । हमारी पार्टी में क्या होता है इस का आप को क्या पता । आप अपने घर को ही सम्भालिए ।

मैं निवेदन कर रहा था—श्री गणेश ने साफ कहा था कि साधारण कानून के अन्तर्गत इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । मैं आज के ही अखबार की एक खबर आप को सुनाता हूं—टाइम्ज आफ़ इंण्डिया में निकली इस खबर की ओर में इन विरोधी मित्रों का ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूं । इस में लिखा है—

"Crime Branch solves the mystery of the watch murder."

एक मि० नरुला हैं जो स्मगलिंग का धन्धा करते थे । उन के यहां एक नौकर था—श्याम मलिक । श्याम से उन का झगड़ा हो गया, वह उन के यहां से चला गया । बाद में नरुला साहब के यहां सर्च हुई, जिस में कुछ माल बरामद हुआ । नरुला साहब ऐक बड़े स्मग्लर हैं, मीसा में उन का डिटेन्शन भी हुआ था । उन को शक हुआ कि श्याम मलिक ने यह सूचना दी है, इस लिए उन्होंने उस को मारने का षड़यन्त्र किया । श्याम मलिक को गोली से मार दिया गया । नरुला साहब गिरफ्तार हुए, लेकिन कानून तो कानून है, उस में सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए । अब वाजपेयी जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि सरकार जमानतों की भी व्यवस्था कराती है । इस का मतलब है कि वाजपेयी जी को हमारी जुडीशियरी पर भी विश्वास नहीं है, वह समझते हैं कि जुडीशियरी भी गवर्नमेन्ट से इन्फ्लुएन्स्ड हो जाती है । मैं इन से पूछता हूं कि श्याम मलिक की हत्या के सिलसिले में अगर नरुला साहब छोड़ दिए गए तो सरकार के पास और क्या तरीका है ?

मैं एक बात और बतलाता हूं—ये स्मग्लर्स खुद माल नहीं लाते, माल मंगवाते हैं । इस काम में 66 हजार लोग लगे हुए हैं । इतना बड़ा गुजरात का कोस्ट है—वैस्ट कोस्ट—कैसे इन्तजाम करेंगे ? यह कह देना बहुत आसान है कि सी० आर० पी० या बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगा दो, लेकिन इतने बड़े समुद्री हिस्से पर कैसे लगायेंगे—यह इतना आसान नहीं है । जो मास्टर-माइण्ड आपरेटर्स होते हैं, वे खुद नहीं पकड़े जा सकते,

[श्री नवल किशोर शर्मा]

क्योंकि वे खुद उस माल को नहीं लाते, उनके नौकर जा कर लाते हैं, इस तरह से बिना एविडेंस के किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हो सकती—इसी लिए नरुला साहब बरी हो गये। इस तरह के लोग जिनके पास बड़े साधन हैं, सम्पत्ति है, जिन के बड़े जरये हैं, उन के द्वारा होने वाली इस स्मग्लिंग को बन्द करना है तो बतलाइये क्या रास्ता है? मेरी समझ में यदि कोई रास्ता दिखलाई देता है तो यही रास्ता है जो सरकार ने किया है और यह बात खाली सरकार की ही नहीं है—जैसा अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे—ला कमीशन ने खुद यह कहा है कि इस तरह के आफेन्सेज को रोकने के लिए यह जरूरी है कि स्पैशल तरीके से, स्पेशल प्रीवन्टिव डिटेन्शन जैसी चीज का इस्तेमाल किया जाय।

हमारे मित्र—वाजपेयी जी कह रहे थे कि साहब, यह बड़ी ज्यादती की बात है कि इस में लैकुना रह जाता है। लैकुना के कारण, ये लोग छूट रहे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं——बम्बई हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट ने जो फैसले किए हैं—वे सिर्फ लैकुना के प्वाइन्ट पर नहीं किए हैं—अगर उन लोगों ने ऐसे ग्राउन्ड्स दिए हैं जो दो साल के बाहर के थे तो हाई कोर्टों का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद नजदीक का कोई वाक्या या इंस्टेन्स दिया जाना चाहिए। पहले की घटना के आधार पर डिटेन्शन को ला-फुल नहीं मानेंगे। इसी वजह से दूसरा आर्डिनेन्स लाना बहुत जरूरी हो गया। हाई कोर्ट का यह कहना है कि दो साल के भीतर या कोई इंस्टेंस होना चाहिए। इस लिए हमें ऐसे अधिकारों की जरुरत थी जो अनफैटार्ड हों।

इसलिए—मेरा यह कहना है कि यह बिल ऐसा बिल है जिसका इस सदन को और सारे देश को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विरोधी दल इस बिल के खिलाफ भी विरोध प्रकट कर रहे हैं इस में भी राजनीति को घसीटना चाहते हे।

सभापति महोदय एक बात और कहना चाहूंगा—यह सही है कि इस बिल के बाद इसे आर्डिनेंस के बाद देश में जो पकड़-धकड़ शुरू हुई उस से देश के आर्थिक ढांचे में कुछ स्थिरता आई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं—कि पिछले कुछ दिनों से इस एन्टी स्मग्लिंग ड्राइव में कुछ शिथिलता पैदा हो गई है, यह कुछ ढीला पड़ गया है। इस के बारे में मैं चाहता हूं कि सरकार कारगर तरीके से कदम उठाए। मैं वाजपेयी जी की बात का समर्थन करता हूं—मुझे पता नहीं कि हमारे संविधान में इस तरह के किसी कानून का प्रावधान है या नहीं है कि आप स्मगलर्स की जायदाद को जब्त कर सकें—चाहे वह नामी हो या बेनामी हो। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—कानून में इस तरह का प्रावधान अवश्य होना चाहिए जिस से स्मग्लर्स की नामी या बेनामी जायदाद को जब्त किया जा सके। ये स्मगलर्स हमेशा जेल में नहीं रह सकेंगे, साल—डेढ़ साल में इन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इन को क्रिपल कर दिया जाय, पंगु बना दिया जाय। जितने साधन इनके पास हैं, जिनको ये स्मग्लिंग में इस्तेमाल करते हैं, इनको छीन लिया जाय, अपने हाथ में ले लिया जाय।

इसलिए में निवेदन करना चाहूंगा—मेहरबानी कर के इतने से ही सन्तोष मत कीजिए, इन को पंगु बनाने के लिए कठोर कदम उठायें। ये लोग चिल्लाते रहेंगे,

लेकिन देश की जनता आप के इन कामों का स्वागत करेगी—ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री इस कदमों को पीछे नहीं हटायेंगे और तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल करेंगे।

SHRI BHOGENDRA JHA (Jaithagar): Mr. Chairman, Sir, there could not be two opinions on the point that smuggling and foreign exchange racketeering has been such an important calamity to our economy and plaguing our politics also to some extent that any harsh step against this disease must be welcomed by all.

We have been told here that smuggled goods worth about Rs. 4 hundred crores are coming to the country annually. We have also read in the newspapers that the so-called smuggler kings—who have been counted 12 in number—are having a monthly income of Rs. 2 crores each.

In such a situation, I think, that even in this House, there should be no two opinions that stringent measures against this immoral and antinational activity must be taken. This crime is being practised with the connivance and encouragement of the government officials and for this, the entire Government, particularly, the ruling party, cannot shirk their responsibility. This smuggling activity is being carried on on a wide-scale in our country with the tolerance and patronage or connivance of the officials. In such a situation, I would like to hear something from the Treasury Benches. They may say anything they want. But, with regard to a good conduct certificate given to Shri Haji Mastan by Shri Kanungo, what have they to say. This is a very interesting case. Also there are many cases. Even now there is a big smuggler in Bihar known as Shri Kam Deo Singh on whose head there is a reward of one lakh of rupees. Having committed fourteen murders he has not yet been arrested. He has got several trucks and several hundred armaments. In the last general election, even his criminal gang had started supporting the Congress (O) Party in capturing all the booths in the Begusarai Constituency. Even now, several ministers of the ruling party have been protecting him. He is now at large. Not because of lack of any law and not because of any lack of powers he could not be arrested. There is a reward of Rs. 1 lakh on his head. I challenge anybody whether they could send any force there to search him. The Government will only get embarrassed if this is done. Several ministers are helping the criminal gang. In the last bye-election his help was taken by them. The government itself is helping the monopolists in this country. It is helping them by using their black money in our country. In such a situation, even if a minor step is taken to curb this smuggling and blackmarketing or foreign exchange racketeering, we have to welcome that.

We know that this step that has now been taken is half-hearted. And, unwillingly, that step has been taken. Perhaps the Finance Minister has introduced an amendment just now. After six months or so, they are now going to appoint a person who is of the rank of the judge of a high court to review the cases involving smuggling after six months of detention

The amendment has been brought forward on behalf of the Government by the Finance Minister after this thing has gained a momentum. Is this for curbing the smuggling acti-

[Shri Bhogendra Jha]

vities of smugglers? Our apprehension is that Government does not seem to be strong enough or does not have any will power to take a serious view of these things to put an end to the smuggling and foreign exchange racketeering that are going on in this country. We have, however, to welcome in this respect that the Maintenance of Internal Security Ordinance is being replaced by this Bill.

This Bill, as it is, is limited to the prevention of smuggling and conservation of foreign exchange.

So there was danger and apprehension of wider misuse of MISA because the Ordinance was definitely misused despite assurance given on the floor of the House as has been narrated by Shri Huda. But here this Bill is limited only to smuggling and foreign exchange violations. This is a welcome thing. The very name of the Bill is a welcome departure from the ordinance.

But I would submit to the House that the wider perspective must be taken into account. If the Government is serious, the Finance Minister must withdraw the amendment which he has tabled and which has been circulated because that amendment makes a mockery of the whole affair, because after six months have elapsed, in the name of personal liberty things will be set in motion and there will be political bargaining behind the prison bars and they may be absolved of all the crimes they have committed and be allowed to be at large and commit the same crimes again.

In such a situation, I would submit that the present Bill is totally inadequate in the sense that it does not provide for total forfeiture of the entire wealth accumulated in the names of the smugglers or in benami names. All that must belong to the State, to the country. That is not provided for here. As long as they have money, they can fight. We have known how Bakhia got a medical certificate from a top heart specialist to the effect that if he were to see a policeman before him, he would die. They can engage top barristers to argue for them. In this society, with money you can have anything. So unless this money is taken away from them, no effective action can be taken. The Bill does not even touch this point.

Similarly, there is another aspect. I would tell the members of the Opposition that we are the first victims of the tyranny and repressive measures of this Government. They say there is dearth of magistrates and officials to take care of the long coastline where smuggling activities take place. But in my constituency, in the small district of Madhubani, 122 special armed police camps have been established about 20 days ago each manned by a magistrate. They are looting the crops of share croppers and helping the landlords. They are committing open armed aggression against peasants because we are implementing the Bhatedari Act and Land Reforms Act. Because of this, there is aggression against our people.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: This is not correct.

SHRI BHOGENDRA JHA: This is correct. Come to my constituency and I will show you. Twenty-four of my colleagues have been murdered with the help of the police and magistrates. In my area, the Syndicate, Socialists have all joined the ruling party. There is none outside. All the rogues are inside the ruling party. They have no dearth of armed men, no dearth of magistrates there. They are openly suppressing the people, looting their

crops and giving it over to the landjords illegally in violation of the Acts. These repressive measures I have narrated are in one constituency; 7,000 persons are either in jail or on bail or under warrant for defending the rights of tenants and sharecroppers and 4,000--the figure has been given by Government,—are being proceeded against under sec. 107 Cr. P.C. This is in one constituency. This is the magnitude of the repressive power of the Government.

But here when it comes to the question of smugglers what will happen to them? If the Members of the opposition mean what they say and if they really stand against smuggling they should support this Bill and they should fight to make it more stringent and stricter in form and content. They must say that it must be made applicable in a more vigorous way. That should be our attempt, not what they have said here....(*Interruptions*) after detention why shall they not be tried? In free India we have been under detention for years. The trial also was going on. So I have moved an amendment and I request the Finance Minister to examine my amendment number 29. After the confirmation of detention, soon-afterwards or before the expiry of one year every person detained for smuggling or foreign exchange racket must be prosecuted in a court of law. If he is found guilty he will be sentenced to a term of imprisonment and this trial will help to unfold the political and beauracratic link that the smugglers have with the Government officers and other politicians. The cases of Shri Kanungo and Mohan Lal Sukhadia can be cited. There are several cases. I should like to be enlightened whether by the Finance Minister or by my friends of the Socialist Party about this matter. It is known that Mr. George Fernandes an ex-Member of Parliament has issued a statement in the Press that while he was a Member of Parliament he had written a letter to the Prime Minister to give legal protection to Mr. Yusuf Patel. I should like that letter and the Prime Minister's reply there to be placed on the Table of the House. We should also like to know whether it was rejected and if so why?

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): That letter had been published in Prati Paksha and is available for public consumption. We are prepared to lay that on the Table of the House also.

SHRI BHOGENDRA JHA: I want that those who know more than myself should enlighten the House and the country on that point. I request that after detention there must be trial and my amendment must be accepted. The patronage of Ministers and politicians belonging to any party or the officers must be brought out in public with all its remafication.

When the smuggling activities have assumed such big proportion they have come here haltingly, hesitatingly and half-heartedly....(*Interruptions*) This is an honest capitalist Government, I know it. Many opposition parties are also capitalist parties and very honestly they are defending capitalism.

In many cases of acquittal of the detainee the ground cited is "detained on vague ground". In one case of Ranchi a smuggler was released by the Supreme Court but Supreme Court openly said: We are very sorry; we do not want to be soft or lenient to the economic offenders but even after three months the order of confirmation was not sent. Shall or shall not the officers responsible for this be penalised or punished? They did it purposely and deliberately. The grounds were left vague. In such a situation the country would like to know why it is being done like that.

I am giving one instance. In April this year at Jaya Nagar a town in Bihar on the border of Nepal, a cus-

[Shri Bhogendra Jha]

toms inspector was coming with smuggled goods and he was caught red handed by some people and paraded in the whole town. On that very day four district Magistrates and the Commissioner of Dharbhanga Division and the Superintendent of Police were present in that place. People took that customs inspector with a blackened face and hair cut to those officers but they asked those people to hand him over to the Police. Later on the customs inspector with a blackened case against those persons that they snatched away the smuggled good from his custody. I asked a question here and it was replied too here. I know it personally and I am prepared to vouch for that; that the customs inspector was coming with smuggled goods. That is a fact. I should like to know from the Government whether the Government means business and whether it wants people's cooperation. A block development officer of Basopatti in Madhubani district of Bihar was suspended when he was found indulging in similar practices, after the people had caught him red-handed with smuggled goods. Fortunately I also reached that place in time. The people were there and the officer was suspended. The customs inspector could not be punished because he belonged to the Central Government.

17.00 hrs.

On 25 January, 1974 one day prior to the Republic Day the President gave assent to the New Code of Criminal Procedure. In section 110 of that Act it has been provided that those violating the Foreign Exchange Regulation Act, Employees Provident Fund Act, Prevention of Food Adulteration Act, Essential Commodities Act, Drugs and Cosmetics Act, etc. shall be proceeded against under section 110 Cr. P.C. I should like to know from the hon. Finance Minister whether a single person in the whole of India has been proceeded against under that section, in any State or Union Territory or Centrally Administered area. That section is meant for those engaged in livelihood. I presume that not a single person had been proceeded against. Some persons here say: we are sorry but how was this clause accepted at that time; they could not give attention to it. I have talked to some Ministers and they ask; how this law was passed. If defaulters against Employees Provident Fund Act, could be proceeded against in this way most of the factory owners and capitalists would be punished. Whatever legal measures are there are not being applied. Naturally a suspicion arises: what is the need for this when you have in your hands powers under existing enactments?

This Bill in so far as it goes is welcome and is in the right direction, but it is utterly inadequate.

AN HON. MEMBER: It is contradictory.

SHRI BHOGENDRA JHA: Naturally even in fury, we cannot become the agents and stooges of smugglers and foreign exchange racketeers. I have told you how I am suffering in my constituency such repression the like of which has not taken place anywhere else. But even in anger, I am not prepared to act as an agent and stooge of the smugglers. This gives an opportunity to the patriots; even if the Government does not help, people will catch hold of these smugglers and hand them over to the officers. If they do not arrest them, we will *gherao* them. Here is a legal measure. I have already made clear their hesitation and half-heartedness. But this gives a whip in the hands of the people.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): In the hands of the Government.

SHRI BHOGENDRA JHA: In the case of some smugglers in Darbhanga, Madhubani and other places, the people helped in catching hold of the

smugglers. Every citizen should help in enforcing the law. In my area, we have implemented some aspects of the Land Reforms Act, whether the Ghafoor Ministry implements it or not and we are prepared to face the consequences. Our patriotic duty is not dependent upon the goodwill of the Government. Even if they hesitate and falter, we will act. Even this step which they have initiated is not because of any change of heart on their part; it is because of public pressure and mass movement. We are utterly dissatisfied with the inadequate, halting, hesitating and half-hearted measures Government have been taking. There is a feeling in the country that after Shri Subramaniam has taken over Finance Ministry, the anti-smuggling operations have slowed down. It may be misplaced, but that feeling is there. It can be removed only through action, not through words or statements in the House. If the Government wants to convice the people, it should initiate action so that the scourge of smuggling and foreign exchange racketeering are eliminated for the good. Otherwise, the people will reject them. This measure will have to be implemented in all seriousness and with speed, after removing the lacunae and accepting some helpful amendments which we have given notice of.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : चेयरमैन साहब, हाउस के सामने जो ममला लाया गया है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और सारे हिन्दुस्तान के लोगों की आंखें उसकी तरफ लगी हुई हैं। कुछ दोस्तों ने कहा है कि यह आर्डिनेंस नहीं लाया जाना चाहिए था क्योंकि इसके मातहत ऐसे लोगों को बांध दिया जाता है, जो उसके मुस्तहक नहीं होते हैं, और उन्हें जान-बूझ कर, नाजायज त पर बांधा जाता है।

सारे हिन्दुस्तान में यह आवाज उठी कि स्मग लिंग को रोकना चाहिए। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स एक्जिस्ट करते हैं, अगर हमने उनको खत्म करना है, तो आखिर कहीं से तो शुरू करना था। शुरूआत करने के लिए सरकार ने यह जो कदम उठाया है, कानून में जो लूपहोल्ज थे, उनको बन्द करने के लिए सरकार ने जो आर्डिनेंस जारी किया है, बजाये इसके कि उस की सराहना कीजिये, मामले को माइडट्रेक करने की कोशिश की जा रही है।

कुछ दोस्तों ने कहा कि फलां आदमी को इसलिये बांधा गया कि कोई सरकारी अफ़सर उसके खिलाफ़ था। मैं समझता हूं कि वे दोस्त सरकार से यह पूछ सकते हैं कि मीसा के मातहत जिन लोगों को जेल में डाला गया है, उन्होंने क्या-क्या जुर्म किये हैं। यह भी कहा गया है कि फलां आदमी के घर से कुछ नहीं निकला। लेकिन यह तो फ़ैक्ट है कि वह आदमी हिन्दुस्तान भर में बदनामतरी और नाटोरियस है कि वह सोने और दूसरी चीजों की स्मगलिंग करता है और उसने करोड़ों रुपयों की जायदाद बना ली है। अगर वह पकड़ा जाये, और उसके घर से कुछ न निकले, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह नेकनाम है? उन तस्करों की मदद करने वाले जितने तत्व हैं, उनको यह समझ लेना चाहिये कि सरकार कभी भी इस कदम से पीछे हटने वाली नहीं है।

मैं तो इस हक में हूं कि जो लोग यह धंधा करते हैं, जिन्होंने अपनी आमदनी के जायज जरायों से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली है, उनके पास से जो कुछ निकलता है, उस को जब्त कर लेना चाहिये।

[श्री दरबारा सिंह]

जहां तक इस बात का सवाल है कि कुछ लोग ग़लत तौर पर पकड़ लिए गए हैं, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि डिपुटी कमिश्नर और एम० डी० एम० वग़ैरह नीचे की सतह के जिन अफ़सरों को ऐसे लोगों को पकड़ने की ताकत दी गई है, उनकी नीयत पर कोई शुबहा करने की गुंजाइश है। लेकिन हो सकता है कि टाइपिंग में, यह किसी और तरह की ग़लती हो गई हो। हां, अगर कोई गिरफ्तारी पोलीटिकली मोटिवेटिड हो, तो मैं उस के सख्त खिलाफ हूं। मगर मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई गिरफ्तारी पोलीटिकली मोटिवेटिड नहीं है।

7.14 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

कोशिश यह की गई है कि जो लूपहोल्ज एक्जिस्ट करते है, उनको बन्द कर दिया जाये। और मैं समझता हूं कि इस तरह के और लूपहोल्ज को बन्द करने के लिए अगर सरकार और कोई प्राविजन लायेगी, तो यह हाउस उसका साथ देगा। जो लोग इनडाइरेक्टली यह साबित करने की कोशिश करते है कि सरकार की कमियों के बायस उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, वे इनडायरेक्टली इस बात को सपोर्ट करते है कि तस्करों को नहीं पकड़ना चाहिए।

यह एक बात दो तीन साहब जो बोले है उन्होंने इनडायरेक्टली सिद्ध करने की कोशिश की है कि तस्कर जो हैं उन पर बहुत रहम करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से और बग़ैर किसी झिझक के इस काम को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी ढील है। सरकार को और ज्यादा तेज़ी से इस चीज को करना चाहिए। जितना भी सोना चांदी या रुपया पैसा निकला है उस से कहीं ज्यादा अभी पड़ा है, उसको निकालने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा सख्ती से, ज्यादा तेजी से और जैसा यहां कहा कि बी एस एफ किस चीज के लिए है, ऐसी पुलिस जितनी भी है उस को इस बात के लिए लगाइए। आप उनको पकड़ने के लिए नई बोट्स लाए हैं, और लाइए, पकड़िये उनको रास्ते में, जहां से चोरी करते हैं वहां से पकड़िये और जहां जहां बेचते है वहां से पकड़िए। मैं उनकी नोटिस में लाना चाहता हू कि लाने वाला अकेले मस्तान ही नहीं है, मस्तान के नीचे एक सारा सिस्टम, सारा आर्गनाइजेशन जो बनाया हुआ है उसको तोड़िए। ..... (व्यवधान) .....
मैं यह कह रहा हूं कि उन लोगों का जो कि एक आर्गनाइजेशन बना हुआ है, वे जहां तक बच जाते है उस हद तक इस सारी चीज को डिसमैंटल करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक बहुत से लोग बाहर में बच हुए है, उन लोगों को भी मीसा के अन्तर्गत आपको पकड़ना होगा। कुछ सूबों में ढील है। उस ढील को आपको निकालना चाहिए। कुछ लोग उलटा कह रहे है कि इसको क्यों लाए है? मैं कह रहा हू कि इससे भी सख्त लाना चाहिए और इस देश के जितने भी ऐसे बदनाम किस्म के आदमी है सब को अन्दर करना चाहिए। ये कोई चौधरी है जो कैपिटलिस्ट बनना चाहते है इस ढंग से? वे चाहते है कि सियासत पर हम काबू कर रखें, वे चाहते है कि सारे समाज पर इनका कब्जा हो। आज जितनी भी बुराई, खराबी और दुनिया भर की कैरेक्टरलेस चीजे होती है वह इस दौलत के मार्फत होती हैं जो इस तरह से कमाई जाती है। इसलिए ऐसी दौलत को खत्म करना चाहिए।

मैं इनको यह सुझाना चाहता हूं कि यह सारे हिन्दुस्तान का मसला है। किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। एक पार्टी के मसले को लेकर आप किसी को जस्टीफाई या अनजस्टी-फाई करने की कोशिश न करें। मै तो यह

समझता हूं कि देश भर में सब लोगों को इकट्ठे हो कर इस बात को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए । अगर यह खत्म हो जाए तो तमाम बुराइयां जो इस से और पैदा होती हैं वह भी खत्म हो सकती है । यह सपना नहीं है जहर है जो लोगों में दाखिल किया जा रहा है । उस जहर को निकालने के लिए आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जितनी जल्दी आप और लोगों को पकड़ें उतना ही अच्छा है । अभी बहुत से और लोग हैं । एक तो इसमें वह लोग है जो सोना चांदी लाते है बोट्स में, एक वह है जिन्होंने अपने महल बना लिए है और वह महल भी उस पैसे के है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स वालों को पूछना चाहिए । वे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास न उनका पेशा है न उनका काम है न उनका कोई नाम है न उनकी जमीन है न उनका नाम है न उनकी दूकान है लेकिन लाखों करोड़ों रुपया उनके पास से निकल कर दूसरों के पास जाता है । उनके हाथ भी बंधने चाहिये । अगर हम समाजवाद में यकीन करते है तो लाजमी तौर पर ऐसे आदमी पर हाथ डालना पड़ेगा जो इससे बचे हुए है ।

मैं आप के खिलाफ़ यह कह सकता हूं कि आपने तेजी से काम नहीं किया, लेकिन जो काम किया है, यह आर्डिनेन्स लाये हैं, इसको जल्दी से पास करके आगे काम बढ़ाइये । उसमें अगर कमी है तो अपोजीशन वाले उस कमी को सामने लायें, उस को दुरुस्त कर सकते हैं तो फिर क्यों न किया जाये । आपने जो समाज की बुराइयों को इस तरह से ठीक करने का तरीका अख्तियार किया है, वह बहुत अच्छा है और जो इसके खिलाफ़ बोलते है वे डाइलेट्री टैक्टिक्स से इसको दबाना चाहते है । वे इसे दबाये नहीं, इस को सपोर्ट करें और सपोर्ट करके मिनिस्टर साहब का हाथ मजबूत करें ।

यह मीसा अकेले इन्हीं पर लगने वाला नहीं है, उन पर भी लगने वाला है जो लोग धन इकट्ठा करते हैं और एण्टी सोशल एलीमेंट्स जितने भी है, सब को इसमें लाना चाहिए । दूसरे लोग भी हैं जो दूसरे देशों को खबर देने वाले है । क्या वे मीसा में नहीं लाये जाने वाले है ? वे भी मीसा में लाने लायक हैं और जो दूसरे मुल्कों से आये हुए पैसे को इस्तेमाल करके उस देश के प्रजातन्त्र को, उस समाज को, हमारी व्यवस्था को खत्म करना चाहते है उनको भी इसमें लाना होगा । यह बात नहीं है कि सिर्फ वही तस्कर हैं । ये भी उनसे बदतरीन किस्म के लोग है । इन सारी चीजों की तरफ सरकार को अपनी आंख करनी होगी और तेजी से काम करना होगा ।

*SHRI J MATHA GOWDER (Nilgiris): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would categorically say that every one in this House wholeheartedly supports the presidential Ordinance invoking powers under the M.I.S.A. for arresting the smugglers and blackmarketeers. There can be no difference of opinion from any quarter in this House about the necessity for issuing this presidential Ordinance. But the main point of controversy is whether action taken under this Ordinance will help the ruling Congress Party or the sagging economy of the country. I am of the view that the action taken against the smugglers under this Ordinance will help more the ruling Congress party than the people of the country by improvement in the economy.

I am surprised at the sudden enlightenment of the Central Government after 27 years of Independence about the existence of smugglers in our country and the need for stringent action against them. This enlightenment on the part of the Government

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri J. Matha Gowder]

of India can also be compared with the enlightenment of Gautam Buddha. While Buddha did penance in the forest for long, the Government of India, while continuing in power, got enlightenment after 27 years of Independence. After two and half decades, the Government got the self-realisation that there is urgent need for issuing a presidential proclamation in this regard.

After all this sudden inspiration on the part of the Government, what do we find? In the Times of India dated 2nd December 74, there is a news item entitled SMUGGLERS ARE BACK IN BUSINESS. I quote:

"After lying low for a few weeks, smugglers in many important centres appear to be resuming their activities, a U.N.I. Survey reports"

The Government of India arrested these smugglers. They approached the Courts and got themselves released because of the legal lacunae. Now they have resumed their business in important centres. This has become possible because of this helpless Government, because of the incompetence of this Government to tackle this menace. It is also because the leading lights of the ruling Congress Party have been the ministering angels of these smugglers. Otherwise, how could Coolie Mastan become Haji Mastan? The Government, during this long period, were fully aware of the smuggling activities in our country.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Any Mussalman who goes to Mecca becomes a Haji.

SHRI J. MATHA GOWDER: I know that. Coolie Mastan became Haji Mastan, because the Government of India issued the necessary Pass-port to him. Though the Government of India knew that he was a smuggler, yet they gave him the pass-port, enabling him to go to Mecca.

I will refer here to a photograph published in the latest issue of Blitz, dated 30th November 1974, which proves my contention that the ruling Congress Party Members were fully acquainted with the smugglers. This photograph shows Yusuf Patel, who has now been detained under MISA. The caption under this photograph reads as follows.

"Yusuf Patel (facing camera), now in detention under MISA..."***

MR. CHAIRMAN: Order, Order. The hon Member should not mention names without prior notice. This will not go into record.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Gowder, before reading out the name of a person who is not a Member of this House, have you given your intimation about it..

AN HON MEMBER: This is a news item.

MR: CHAIRMAN: Allegation is made under Rule 353. Let us go by the rule. You know it.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : हाजी कुली मस्तान का नाम लिया जा सकता है या नहीं ? पटेल का नाम लिया जा सकता है या नहीं ?

सभापति महोदय : जिन लोगों को पहले ही पकड़ लिया गया है, जिनके नाम पहले ही आ गये है , उनकी अलग बात है, उस की इजाजत है ।

Even Government have placed them; that is not a secret. You see Rule 353. If you make allegation,

***Not recorded

that person has no opportunity to defend himself. Action against Blitz you may take outside. I am here trying to protect the interest of those persons not able to defend themselves here. That is the rule. No allegation should be made.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Vajpayee mentioned the name of Kunungo, former Governor of Maharashtra. Nobody raised any objection. Mr. Deputy Speaker was in the chair and he did not take objection.

MR. CHAIRMAN: There is no question of interpreting the rule and all that. The rule is very clear. It says that 'No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker. You can do so, provided you have given previous intimation to the Speaker. You know it. You can do so provided you have given previous intimation. That is all. You have not done that.

AN HON. MEMBER: This is not a new allegation.

श्री जनेश्वर मिश्र आप यहां बैठ कर इस रूलिंग को कोट करते तो अच्छा था ।

सभापति महोदय लेकिन चेयर पर बैठ कर तो ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है ।

श्री जनेश्वर मिश्र . वहां बैठ कर ऐसा न करें ।

सभापति महोदय नियमों के मुताबिक चलने से सदन की कार्यवाही ज्यादा अच्छी होगी , मैं आपका सहयोग चाहता हूं । Please do not do it...

SHRI DINESH JOARDER (Malda): During any discussion, members can do it and they are entitled to read out report of the newspaper.

MR. CHAIRMAN: Provided you give notice of such allegation. That notice is not given. Under the garb of reading news item you cannot make incriminatory and defamatory allegations against another person.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: There are cases where names have been mentioned. Another Member of the House has mentioned many names.

MR. CHAIRMAN: I am discharging my duty as a Chairman. I will go as per rules. Mr. Gowder, please don't do it

SHRI J. MATHA GOWDER: It is all reported in the newspapers; it is not a new allegation.

MR. CHAIRMAN: Then, why don't you give previous notice? I am not stopping you. You must have given previous notice, that you want to mention such and such name.

SHRI P. G. MAVALANKAR: I rise on a point of order. Is there no difference between quoting from a report which is already published in any printed journal or newspaper and referring to some individual and his action on the basis of information which is in the exclusive possession of the Member himself? If the Member is in possession of certain information about an individual who is not member of this House, then you are right, the rule tells us that we cannot refer to him because we have not given due notice.

But what Mr. Gowder has been doing is merely giving out what has already appeared and published in a newspaper. That report which is printed has not been contradicted by the person against whom it has appeared. Therefore, I want to know whether you make difference between referring

[Shri P. G. Malvankar]

to an individual on the basis of Member's personal information and the Member referring to any printed journal which is freely available to all and which has not been contradicted by the person against whom it has been printed.

MR. CHAIRMAN: The idea behind this rule is not about newspapers and other things. Here, in this House, Members have certain privileges and they enjoy immunity for whatever they say. Therefore, for a healthy practice those who do not have an opportunity of clarifying and defending themselves the hon. Members must have some restraint. All that is required is you must give a previous intimation—whether based on newspaper report or personal knowledge. Whatever may be the source if you want to name somebody you must give previous information. Therefore, I would submit, as that has not been done that is contradictory to rule. I would ask Mr. Gowder to withdraw.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Sir, can any member while discussing this Bill refer to Haji Mastan?

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Chatterjee would know Mr. Haji Mastan's name has already come.

SHRI VAYALAR RAVI: . . .****

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If any Member has given, without previous notice, the name of any one outside, who is not here, that will not be recorded.

(Interruptions)

SHRI J. MATHA GOWDER: Mr. Chairman, Sir, it is natural that one, who commits blunders, will easily get agitated and it is normal that Shri Vayalar Ravi, who belongs to such a party, should get agitated.

The Congress Party has been in power uninterrupted for the past 27 years at the Centre. Can anyone believe that the Government were not in the know of the activities of the smugglers during all these years? Only to prove that the leading members of the ruling party were hobnobbing with the established smugglers, I referred to the photograph in the Blitz. Till the day of his arrest, Ram Lal Narang, a smuggler was a member of the Maharashtra Telephone Advisory Committee. Can it be contended that he became a member of the Maharashtra Telephone Advisory Committee without the connivance of both the Central Government and the State Government of Maharashtra. The ruling party had to extend such patronage to the smugglers because it was being favoured by these smugglers with several lakhs of rupees for the purpose of meeting the election expenses of the Congress Party every five years.

I will give you another example how the smugglers were being encouraged by the ruling Congress Party. Yusuf Patel, a well-known smuggler, who was nicknamed as the Pillar of the Congress, has now been detained under the MISA. When was this done? This was done after he gave insolvency, after he made benami transfers of all his property. It is widely believed that he was advised by the ruling Congress party members to become insolvent at the earliest as he was likely to be arrested under the M.I.S.A. Not only he got prior intimation about the likely arrest, but also the advice about transferring all his assets and becoming insolvent before his arrest. If this had not been done, the Government could have seized all his property in public interest.

Similarly, I would also refer to what Haji Mastan had to say in an interview he had with Shri Shamim

****Not recorded.

Ahmad Shamim, M.P. This has been published in the *Illustrated Weekly* of India I quote:

> "Half the wealth in our cities consists of black money amassed by Ministers, officials and leaders of various political parties. Politicians abuse me by day and come to me at night with their begging bowl, asking me to give them money to fight the elections I dole out the money and smile to myself If today I mention their names, there will be a sensation. They include Congressmen."

Haji Mastan has expressed this view to Shamim Ahmad Shamim that it would become a sensation if he divulged the names of Congressmen who had come to him for money for fighting the elections.

It is clear that the Government do not want the cases of the smugglers to be taken to courts If they are taken to the courts, all the underhand dealings of the Congress Party will become public. That is why the Government are keen to detain the smugglers indefinitely under the MISA denying them even the fundamental right of going to a court of law Only to this the Opposition Leaders are objecting.

In conclusion, I have no hesitation in saying that the defective, deficient and wrong policies of the Congress Government at the Centre have led to the deteriorating economic chaos in the country.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) सभापति जी, 17 सितम्बर की रात को जब एक अध्यादेश जारी हुआ तो जो तस्कर सम्राट थे, हाजी मस्तान, वाखिया और पटेल आदि, जो अट्टालिकाओं में रहते थे आज वह कहा है और कहा रह रहे है, इस बात को सारा देश जानता है । एक बहुत बडी बात हुई, इस प्रकार से अध्यादेश जारी हुआ कि लोगो को मालूम नही हुआ कि तस्कर सम्राट, जिन्होने देश की अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ दिया था, उनको इस प्रकार से पकडा जायेगा । लेकिन आज जब तस्करी को मिटाने के लिए एक कानून आ रहा है तो लोग इसकी आड़ मे न जाने क्या क्या शिकार खेलना चाहते है । मैं नही कहता कि भारत मे ही तस्करी होती है । दुनिया के सभी देशो मे तस्करी होती है, और तस्करी की बीमारी आज की बीमारी नही है बल्कि बहुत पुरानी है, सैकडो सालों से तस्करी होती आयी है । लेकिन आज लोग कीचड उछाल रहे है यह कह कर कि फलाने का हाथ था, ढिकाने का हाथ था । मै पूछना चाहता हू कि जब तस्करो ने इस देश मे 27 साल से बराबर काम किया तो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने सरकार को यह कहा हो कि हम इस तस्कर सम्राट को पकडाना चाहते है ? आज आप सभी कहते हैं कि तस्करो की सरकारी अधिकारियो से जानपहचान थी । लेकिन इसके पहले क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उन तस्करों के बारे मे किसी को शिकायत की ? जब 17 सितम्बर के बाद भारत सरकार ने तस्करो को पकड़ना शुरू किया तब आपका याद आया कि तस्करो की लोगो से जानपहचान है । किसी ने कुछ कहा और किसी ने किसी अन्य नेता का नाम लिया । देश में कई सरकारे बनी, सविद सरकारे भी बनी, लेकिन क्या किसी सरकार ने उन तस्करो की बाबत कोई शिकायत कभी भारत सरकार को कि यह व्यक्ति तस्करी करने वाला है । क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणापत्र मे कहा कि जिसके पास तस्करी का माल होगा उसको अपनी पार्टी का मेम्बर नही बनायेगे ? किसी ने नही कहा । मै मानता हू मनुष्य मे कमजोरिया है, जो कोई भी बाहर जाता है तो अपने साथ तस्करी का सामान लाता है । वे दूध के धुले हुए बनना चाहते हैं । किस के घर मे नही है ? आपके घर में नही है ? कानून यह होना चाहिये कि फलां तारीख

[श्री मूल चन्द डागा]

तक सभी ऐलान करें कि किसके पास तस्कर का माल है, बाहर से मंगाया हुआ माल है। उस तारीख के बाद किसी के पास भी अगर यह माल पाया जाए तो उसको सजा होनी चाहिए।

आप यह देखें कि तस्करों ने मन्दिर भी बनवा दिए है, मस्जिदें भी बनवा दी है। हाजी और पंडित वे बन गये हैं क्योंकि धर्म का काम उन्होंने किया है। लेकिन क्या धर्म ने उनको यह सिखाया था कि तुम तस्करी का काम करो। जो राजनीति में है क्या उन्होंने कुछ किया? इन लोगों के खिलाफ क्या धर्म के ठेकेदारों ने कुछ कार्रवाई की जो हाजी बन गए, पंडित बन गए, टीका लगाने लग गए? इतने सालों तक क्या उनको पता नहीं था कि इस प्रकार के राष्ट्र द्रोही काम वे कर रहे है। राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे है, राष्ट्र को गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे है। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल या कोई और हो किसने इनसे चन्दे लिए है? रात के अन्धेरे में किसने चन्दे लिए है? लिए है तो गलत है नहीं है? फिर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कानून बनाया जाता है तो क्या उसको आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिये। मुझे मालूम है और कई बार इस सदन में इसकी चर्चा आई है कि नयनमल पूजा जी ने 28 लाख रुपया या 26 लाख जो मोहनलाल सुखाड़िया को दिया था वह एक साधू ने दिलवाया था अकाल के वक्त धान उससे बंटा था और इसके पीछे भी एक साधू का ही हाथ था। वहां असेम्बली में और यहां भी इस पर वाद विवाद हुआ था। उसके पीछे भी एक बड़ा भारी धर्म का ठेकेदार था। अब धर्म के ठेकेदारों की आड़ में जो स्मगलिंग होता है इसको रोकने के लिए भी आप कानून जो बनाने जा रहे हैं उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं। जिस तरह के यहां भाषण किये गए हैं वे हल्के स्तर के मुझे मालूम हुए हैं। यहां यह कहा जाता रहा है कि इन स्मगलर्ज को मीसा में क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्यों उसको काम में नहीं लाया जाता है? लेकिन जब उसके अन्दर कार्रवाई हुई, हिन्दुस्तान में एक हवा बनी, सैकड़ों और हजारों स्मगलर्ज को गवर्नमेंट ने उसके अन्दर पकड़ा तो जब कुछ लोग छूट गए तो उसका इलाज क्या था? यही था कि कोई कानून बनाया जाए ताकि वे छूटे नहीं। अब कहा जा रहा है कि चन्दे लेने आप जा रहे है इलेक्शन में। मैं समझता हूं कि इस तरह की हल्की बातें नहीं होनी चाहिये, जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिये, कुछ संयम के साथ काम लिया जाना चाहिये। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की सरकार उनसे चन्दे लेगी और उसके बल पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या बाहर भी लोग ऐसी राय रखते है? जब सरकार ने पहला कदम स्मगलर्ज के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ, देश द्रोहियों के खिलाफ उठाया तो लोगों ने उसका स्वागत किया। लेकिन आप अब इन्हीं लोगों की वकालत करने लग गये हैं और कहने लग गये हैं कि उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित न करो। उनको कहा इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आपने यहां बार बार कहा है कि राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों को लैम्प पोस्ट पर खड़ा कर दीजिये और उनको गोली से उड़ा दीजिये। जब हम कहते है कि कानून के सिकंजे में उनको जकड़ा जाए और उनको मौका दिया जाये कि वे भी अपनी बात कह सकें तो आप कहने लग गये हैं कि राजनीति में भाग लेने वालों को आप इसमें फंसायेंगे और आप इसका विरोध करते हैं। अब यह जो स्मगलर्ज के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया जाना है यह आप लेंगे या हिन्दुस्तान की 56 करोड़ जनता लेगी। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता तस्कर विरोधी कार्रवाईयों में सरकार के साथ है।

अब अगर कोई उनके खिलाफ कानून बनाया जाता है तो आपको बताना चाहिये कि उसमें यह कमी है, यह गलती है और उसको दूर किया जाये। अध्यादेश जो जारी हुआ है उसके पहले सरकार ने ठीक समझा कि आपको बुला कर आपसे बात कर ली जाये। सरकार ने आपको कान्फिडेंस में लेना चाहा था। लिया भी था। आपको चाहिये था कि आप सरकार की इस काम मे मदद करते, उस कानून को अमली रूप देने मे आपको चाहिये था कि आप सहयोग देते। लेकिन अगर इस आड़ मे राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश की जाये तो यह ठीक नही है। मैं चाहता था कि श्री वाजपेयी बिल पर कुछ बोलते। ऐसा वह करते तो अच्छा होता। उन्होने हर तरह की बात कही लेकिन एक शब्द भी नही बताया कि इस बिल में क्या क्या कमिया है। लेजिस्लेशन आपके सामने है। वह एक घटा बोले है। उन्होंने ख्वामख्वाह की बाते ही कही है, कहा है कि कुमारमंगलम वकील कैसे बन गए, एच० आर० गोखले ने पत्र कैसे लिख दिया। इस तरह की बाते कह कर आप समझते है कि आप देश और दुनिया की सेवा कर रहे है, हिन्दुस्तान के सामने जो यह एक बहुत बड़ा मामला है उसका हल आप निकाल रहे है। मै चाहता था कि श्री चटर्जी साहब जैसे लोग जो कानून को समझते है भाषण देते। ऐसा नही समझना चाहिये कि वह कोई बड़ा मैदान है, रामलीला ग्राउन्ड है जहा भाषण दिया जा रहा है। इस बिल में क्या कमी है, यह आपको बतलाना चाहिये था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह बताइये कि आप एमरजेंसी जो लागू है उसको सपोर्ट करते है या नही करते है।

श्री मूल चन्द डागा : आपने इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज मे लिखा है :

"to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange"

मै समझता हूं कि सारी जो चीजें है उनको आप एक ही और इसी बिल में रखते। अब कस्टम्ज के बारे में डेफीनीशन को आपको ढूढना हो तो उसके लिए कस्टम्ज बिल देखना पड़ेगा, दूसरे एक्ट को देखना पडेगा और किसी और चीज को देखना हो तो उसको उस एक्ट में देखना पड़ेगा। आपको चाहिये कि सब चीजों को कंसोलिडेट करके आप एक जगह रखते ताकि कस्टम वगैरह के लिए दूसरा एक्ट देखने की जरूरत नही पड़ती और सुविधा हो सकती। आपको देखना चाहिये था कि अफसरो को ही नहीं, लायर्ज को ही नहीं बल्कि आर्डिनरी आदमी को भी सुविधा होती और सब चीजे उनको एक ही स्थान पर मिल जाती और अलग अलग एक्ट देखने की जरूरत न पडती। सभी डैफीनीशंज को कस्टम्ज, फारेन एक्सचेंज आदि को इस बिल में ही स्थान देना चाहिये। आपने डैफीनीशंज अलग अलग दी है।

फिर आपने इसमे कहा है :

"specially empowered for the purposes of this section by that Government, may, if satisfied, with respect to any person...."

आपने पावर दी है ज्वायंट सैक्ट्री और सेक्रेटरी को स्टेटस में डिटेंशन आर्डर इशू करने की बाबत। अब उनको क्या देखना चाहिये। यह देखना चाहिये कि प्राइमा फेसी एपीयर्ज लाइक दिस और नाट एंड नाट सेटिसफाइड। अगर सरकार सेटिसफाइड है, तो फिर जज और एडवाइजरी बोर्ड किस बात की सैटिसफ्रैक्शन करेंगे ? मेरा खयाल है कि यहां "एपीयर" या "प्राइमा फेसी" होना चाहिए। "सैटिसफाइड" होने से बडी दिक्कत होगी।

SHRI P. G. MAVALANKAR: Mr. Chairman, Shri Vajpayee, while moving his statutory resolution, has very ably put forward the case of people like us who feel very strongly that effective, timely and urgent action must be taken against smugglers but the way in which the Government have come forward with this Ordinance, the Presidential Order and the proposed Bill have been far from satisfactory.

Many members from the Congress benches have been chiding us and asking whether we are pleading for fundamental rights for the smugglers. Let us not talk in childish and mischievous terms. Nobody in his senses will ever say that the smugglers should be protected. As a matter of fact, smuggling has been going on in this country because of the party in power. It is the party in power which has been the beneficiary of this anti-national, anti-social, anti-patriotic activity which has been going on for the last so many years. On top of all that, these hon. gentlemen in such a shameless way abuse us for the pleading for the rights of the smugglers when we are in fact discharging our democratic duty of protecting the fundamental rights of the citizens The question is whether we are really sincere about certain provisions of our Constitution. Did the constitution-makers ever dream that this Government will pervert and twist the provisions relating to emergency?

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue his speech tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 4, 1974/Agrahayana 13, 1896 (Saka).

GIPND—Job I—L.S. 2787—7-1-75—